पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 मार्च, 2021 ई0 (फाल्गुन 22, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–11

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	141–164	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	115–119	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	103–120	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सूचना अनुभाग–01

अधिसूचना

28 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 17/XXII(1)/2021–7(11)2012–राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के परन्तुक सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन (संशोधन) नियमावली,2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन (संशोधन) नियमावली,2020 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–10 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियमावली कहा गया है) के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. उत्तराखण्ड सरकार के समस्त शासकीय विभागों के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन सूचना विभाग के महानिदेशालय (मुख्यालय) के माध्यम से ही जारी किये जायेंगे। अनियमित समाचार पत्रों को किसी भी दशा में विज्ञापन जारी नही किये जायेंगे।	10. प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों के सजावटी विज्ञापन का प्रकाशन सूचना विभाग के महानिदेशालय (मुख्यालय) द्वारा किया जायेगा। वर्गीकृत विज्ञापन का प्रकाशन सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वयं कराया जायेगा। अनियमित समाचार पत्रों को किसी भी दशा में विज्ञापन जारी नहीं किये जायेंगे तथा वर्गीकृत विज्ञापन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में उपबन्धित व्यवस्था के अंतर्गत ही समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।

नियम–13 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नियम स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (ग) के नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
13 (ग). राज्य सरकार के समस्त शासकीय विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले सभी वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन डी.ए.वी.पी./विभागीय दरों पर प्रकाशित कराया जायेगा। ऐसे निगम, उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, परिषद, बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं स्थानीय निकायों जिनके विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा डी.ए.वी.पी./विभागीय दर पर प्रकाशित नहीं किये जाते हैं, वे स्वयं अपने स्तर से विज्ञापन प्रकाशन हेतु स्वतंत्र होंगे, ऐसे विज्ञापनों का भुगतान भी सम्बन्धित द्वारा किया जायेगा।	13 (ग). राज्य सरकार के समस्त शासकीय विभागों द्वारा विज्ञापित किये जाने वाले सभी वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन का प्रकाशन व भुगतान डी.ए.वी.पी./सूचना विभाग द्वारा नियत दरों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वयं किया जायेगा।ऐसे निगम, उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, परिषद, बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं स्थानीय निकायों जिनके विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा डी.ए.वी.पी./विभागीय दर पर प्रकाशित नहीं किये जाते हैं, वे स्वयं अपने स्तर से विज्ञापन प्रकाशन हेतु स्वतंत्र होंगे, ऐसे विज्ञापनों का भुगतान भी सम्बन्धित द्वारा किया जायेगा।

नियम–15 का संशोधन

4. मूल नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम झ के नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15 (झ). समस्त शासकीय विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों का भुगतान सूचना विभाग द्वारा किया जायेगा। सजावटी विज्ञापन का भुगतान मूलतः सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में सम्बन्धित विभाग के अनुरोध पर सूचना वि भाग द्वारा भी सजावटी विज्ञापन का भुगतान किया जा सकता है।	15 (झ). वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों का भुगतान सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वयं किया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में सम्बन्धित विभाग के अनुरोध पर सूचना विभाग द्वारा सजावटी विज्ञापन का भुगतान किया जा सकता है।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 398 of the Constitution, Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 17/XXII(1)/2021-7(11)2012**, dated January 28, 2021 for general information.

NOTIFICATION

January 28, 2021

No. 17/XXII(1)/2021-7(11)2012--In exercise the powers conferred by the proviso to article 162 of the Constitution read with the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Uttar Pradesh Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttarakhand Print Media Advertising Rules, 2015 :--

The Uttrakhand Print Media Advertising (Amendment) Rules,2020

Short title and Commencement:

1. 1. These rules may be called the Uttrakhand Print Media Advertising (Amendment) Rules, 2020
2. It shall come into force at once.

Amendment of rule-10

2. **In The Uttrakhand Print media Advertising Rules 2015(hereinafter referred to as principal rule)for the exiting rule 10 as set out in column 1 below,the rule set out in column 2 shall be substituted, namely:-**

Column I Existing Rule	Column 2 Rule as hereby substituted
10. Classified and Display advertisements of all government departments of Utarakhand will be published through the Directorate of Information & Public Relations Department. Advertisements will not be issued to irregular newspapers in any case.	10. Display advertisement of all government departments of the State shall be published by the Directorate of Information and Public Relations. The classified advertisements shall be published by the respective departments themselves.

Advertisements shall not be published to irregular newspapers in any case, and classified advertisements shall be published to newspapers under the provision of the Uttarakhand Procurement Rules 2017

Amendment of Rule-13

3. In the principal rule for existing sub rule (c)of rule 13 set out in Column- 1 ,below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column 1 Existing Rule	Column 2 Rule as hereby substituted
13(c). All classified and display advertisements issued by all government departments of the state government will be published at the approved rates by DAVP/DIPR Uttarakhand. Such Corporations, Undertaking Autonomous Institutions, Council, Board, University and Local Bodies, whose advertisements are not published by major newspapers at DAVP/ DIPR Uttarakhand rates, will be free to publish advertisements at their own level, such advertisements will be paid by the concerned.	13(c). All classified and display advertisements published by all government departments of the State Government shall be paid by the respective departments at the rates fixed by the DAVP/DIPR Uttarakhand. Such Corporations, Undertaking Autonomous Institutions, Council, Board, University and Local Bodies, whose advertisements are not published by major newspapers at DAVP/ DIPR Uttarakhand rates, will be free to publish advertisements at their own level; such advertisements will be paid by the concerned.

Amendment of rule-15

4. In the principal rule for existing sub rule (1) of rule 15 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing Rule	Column 2 Rule as hereby substituted
15(1). The classified advertisements of all government departments will be paid by Information Department. The display advertisement will be paid by the concerned department, but in special circumstances, the display advertisement can also be paid by the Information Department on the request of the concerned department.	15(1). All classified and display advertisements shall be paid by the respective departments themselves, but in special circumstances, the display advertisements may also be paid by the Information Department on the request of the concerned department.

By Order,

DILIP JAWALKAR,

Secretary.

गृह अनुभाग–7

अधिसूचना

प्रकीर्ण

10 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 124/XX–7/2019–01(63)2016–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) सपठित धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 15 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस सेवा नियमावली, 2018 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 15(क) (तीन), 15(क)(छः), 15(क)(सात),15(ख),15(ड),15(च) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(तीन) भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र भी प्रिन्ट कराया जायेगा एवं पूर्ण रूप से भरे हुए तथा समस्त संलग्नकों सहित आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि की सांय 5.00 बजे तक जमा करना होगा। आवेदन पत्र भर्ती केन्द्र के निर्धारित कार्यालय में कार्यालय दिवस में सीधे भी जमा किये जा सकते है। अपूर्ण आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।	(तीन) आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति चयन आयोग द्वारा निर्गत की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र, समस्त संलग्नकों सहित आयोग को अन्तिम तिथि की सायं 17:00 बजे तक जमा कराना होगा। आवेदन पत्र सम्बन्धित चयन आयोग के कार्यालय में कार्यालय दिवस में सीधे भी जमा किए जा सकेंगें। अपूर्ण आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(छः) भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र को A–4 साईज के पेपर में अंकित कराकर एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराकर भर्ती केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(सात) प्रत्यैक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं बारहवीं और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणिक प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।

समुचित रूप से भरे गये पूर्ण आवेदन पत्रों को संबंधित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय(भर्ती केन्द्र) में जमा करना होगा।

(ख) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र/समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, प्रवेश पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो, किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो, तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा जारी किये जायेंगे जिस जनपद/भर्ती केन्द्र में आवेदन पत्र जमा/प्रेषित किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा/ लिखित परीक्षा का दिनांक और समय सहित, परीक्षा–कोड /नाम/पता और परीक्षा केन्द्र स्थल आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। भर्ती के सम्बन्ध में निर्धारित तिथियों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा दी जा सकती है। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जाने हेतु अपेक्षित हों, को प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुच जाने चाहिए। यदि प्रवेश

(छः) भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र को A–4 साईज के पेपर में अंकित कराकर एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराकर चयन आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(सात) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं बारहवीं और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणिक प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।

(ख) आवेदन पत्र/समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, प्रवेश पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो, किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो, तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। सम्बन्धित चयन आयोग प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएगा। पुलिस मुख्यालय जिले के भर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत केन्द्र प्रभारी को उनसे सम्बन्धित जनपद की सूची उपलब्ध कराएंगे। सम्बन्धित जनपद के केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा की दिनांक (समय सहित), परीक्षा–कोड/नाम /पता और परीक्षा केन्द्र स्थल आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। भर्ती के सम्बन्ध में निर्धारित तिथियों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा दी जा सकती है। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जाने हेतु अपेक्षित हों, को प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह

पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र से सम्पर्क कर सकते है।

(ड) शारिरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया **परिशिष्ट–4** में दी गई है।

(च) शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के अंकों के योग के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों (प्रभारी भर्ती केन्द्र) द्वारा जनपदवार अन्तिम मैरिट सूचियां तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे वरिष्ठता कम में रखा जायेगा।यदि दोनों अभ्यर्थियों की जन्म तिथि भी एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता प्रदान की जायेगी, लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक के आधार पर वरिष्ठता प्रदान की जायेगी। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी एवं पुलिस विभाग की बैबसाईट तथा स्थानीय पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनायी जायेगी।

नियम 18 का संशोधन

पूर्व पहुच जाने चाहिए। यदि प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र से सम्पर्क कर, प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते है।

(ड) उक्त नियम (घ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की जनपद वार प्राप्तांक युक्त सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोग को प्रेषित की जायेगी। चयन आयोग द्वारा सफल घोषित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा परिशिष्ट–4 में दी गई प्रकियानुयार करायी जायेगी।

(च) उक्त नियम (ड) में निहित प्राविधानानुसार सम्बन्धित चयन आयोग रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे वरिष्ठता कम में रखा जायेगा। यदि दोनों अभ्यर्थियों की जन्म तिथि भी एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता प्रदान की जायेगी, लिखित परीक्षा में भी समान अंक होने पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक के आधार पर वरिष्ठता प्रदान की जायेगी। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची चयन आयोग की वैबसाईट में प्रकाशित की जायेगी तथा पुलिस विभाग की वैबसाइट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

3. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
18. अन्तिम रूप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल/चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का बन्ध पत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक यदि उनके द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है अथवा उन्हे सेवा से हटाया जाता है अथवा अभ्यर्थी द्वारा विभाग छोडा जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हे भुगतान किये गये वेतन की धनराशि का भुगतान उन्हें पुलिस विभाग को करना होगा।	18. अन्तिम रूप से चयनित/चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से इस आशय का बन्ध पत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक सेवा में रहेंगे। यदि उनके द्वारा 05 वर्ष से पूर्व त्याग पत्र दिया जाता है अथवा उनके अनुरोध पर किसी दूसरी सेवा हेतु कार्यमुक्त किया जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें भुगतान किये स्टाईपेण्ड/वेतन की राशि का भुगतान उन्हें पुलिस विभाग को करना होगा।

नियम 19 का संशोधन

4. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
19. अन्तिम रूप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल/चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। नियुक्ति आदेश का प्रारूप सम्बन्धित अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।	19. अन्तिम रूप से चयनित/चिकित्सकीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को नियम 3 (ख) के प्राविधानानुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

नियम 24 का संशोधन

5. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 24(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क) पदोन्नति के लिये निर्धारित 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जाएंगी। केवल ऐसे आरक्षी, जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हुई हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे।	(क) पदोन्नति के लिये निर्धारित 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जाएंगी। केवल ऐसे आरक्षी, (महिला/पुरूष) जिनकी आयु, 45 वर्ष से अधिक न हुई हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होगें।

नियम 25 क का अंतःस्थापन

पदोन्नति लेने से इंकार

6. मूल नियमावली के नियम 25 के पश्चात् एक नये नियम 25 क को निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

पदोन्नति लेने से इन्कार करने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में **'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली, 2020'** के प्राविधान तथा समय–समय पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के प्राविधान लागू होंगे।

नियम 27 का संशोधन

7. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 27(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
27(क) किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी। पदोन्नति प्रक्रिया के समय नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना के कर्मियों की ज्येष्ठता सूची संवर्गवार तैयार की जायेगी।	**27(क)** किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी। पदोन्नति प्रक्रिया के समय नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस के कर्मियों की ज्येष्ठता सूची संवर्गवार तैयार की जायेगी।

नियम–29 का विलोपन

8. मूल नियमावली के नियम 29 का लोप किया जायेगा:–

परिशिष्ट–4 का संशोधन

9. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दी गई विद्यमान परिशिष्ट– 4 की प्रवृष्टि 10 को विलोपित करते हुए प्रवृष्टि 2, 3, 8, 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रवृष्टि रख दी जायेगी अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान परिशिष्ट**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**
2 लिखित परीक्षा का आयोजन तत्समय उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्राधीकृत संस्था द्वारा कराया जायेगा।	2 लिखित परीक्षा का आयोजन नियम 3(ड) में उल्लिखित चयन आयोग द्वारा कराया जायेगा।
3 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास प्रवेश पत्र अवश्य पहुंच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र	3 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास प्रवेश पत्र अवश्य पहुंच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र नहीं प्राप्त करता है,

नहीं प्राप्त करता है, तो वह बोर्ड/सम्बन्धित जनपद के भर्ती केन्द्र की हेल्पलाईन मोबाइल/लैण्डलाईन टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से सम्पर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है। लिखित परीक्षा की तिथि से अभ्यर्थियों को सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के प्रभारियों द्वारा समाचारपत्रों के माध्यम से भी अवगत कराया जा सकता है।

तो वह सम्बन्धित चयन आयोग की हेल्पलाईन मोबाइल/लैण्डलाईन टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से सम्पर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है।

8 लिखित परीक्षा हेतु ओ0एम0आर0 शीट कार्बन प्रति के साथ तीन प्रतियों में होगी, प्रथम शीट मूल्यांकन हेतु सम्बन्धित संस्था को भेजी जायेगी, द्वितीय शीट सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी के पर्यवेक्षण में डबल लॉक में सुरक्षित रखी जायेगी तथा तृतीय शीट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

8 लिखित परीक्षा हेतु ओ0एम0आर0 शीट कार्बन प्रति के साथ दो प्रतियों में होगी, प्रथम शीट मूल्यांकन हेतु परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था के पास रखी जायेगी, जबकि दूसरी कार्बन शीट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

9 लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला संबंधित चयन आयोग एवं उत्तराखण्ड पुलिस की बैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

9 लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला संबंधित चयन आयोग की बैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

परिशिष्ट–6 का संशोधन

10. मूल नियमावली की नीचे स्तम्भ–1 में दी गई विद्यमान परिशिष्ट– 6 की प्रवृष्टि 5 तथा 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रवृष्टि रख दी जायेगी, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
5 सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, " परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता	5 सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, " परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया

है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

9 चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों मे प्राप्त अंकों का योग करने के उपरान्त प्रचलित आरक्षण नियमों के अधीन अंतिम योग्यता सूची तैयार करके उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ज्येष्ठता के आधार पर प्रान्तीय योग्यता परीक्षा के आधार पर मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु योग्य प्रशिक्षणार्थियों का चयन करते हुये चयनित कर्मियों की मैरिट सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी ।

जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अपीलीय/ विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

9 शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल कार्मिक /अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का निर्धारित मानकानुसार मूल्यांकन कर, कार्मिक को सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन में देय अंकों को सार्वजनिक करते हुए, उस पर 15 दिवस की समय सीमा निर्धारित कर आपत्ति/अनापत्ति प्राप्त करते हुए, मूल्यांकन सूची अन्तिम की जायेगी, जिस पर पारदर्शिता के दृष्टिगत कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। उक्त अन्तिम सूची (सेवा अभिलेखों में प्राप्त अंक) पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सम्बन्धित चयन आयोग को प्रेषित की जायेगी। लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (सेवा अभिलेख मूल्यांकन अंक एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं परिशिष्ट में दी गई रीतिनुसार प्रवीणता सूची तैयार कर चयन आयोग की वैबसाइट में प्रकाशित करेगा तथा पुलिस विभाग की वैबसाइट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

परिशिष्ट–7 का संशोधन

11. मूल नियमावली की नीचे स्तम्भ–1 में दी गई विद्यमान परिशिष्ट–7 की प्रवृष्टि 5 तथा 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रवृष्टि रख दी जायेगी, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
5 सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो,	5 सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो; अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो,

" दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा।" निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

10 चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, बाह्य परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों में प्राप्त अंकों का योग करने के उपरान्त प्रचलित आरक्षण नियमों के अधीन अंतिम योग्यता सूची तैयार करके उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी पदोन्नति प्रशिक्षण हेतु योग्य प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।

" परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अपीलीय/ विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

10 शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल कार्मिक/ अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का निर्धारित मानकानुसार मूल्यांकन कर, कार्मिक को सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन में देय अंकों को सार्वजनिक करते हुए, उस पर 15 दिवस की समय सीमा निर्धारित कर आपत्ति/अनापत्ति प्राप्त करते हुए, मूल्यांकन सूची अन्तिम की जायेगी, जिस पर पारदर्शिता के दृष्टिगत कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। उक्त अन्तिम सूची (शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों में प्राप्त अंक) पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सम्बन्धित चयन आयोग को प्रेषित की जायेगी। लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (शरीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक, सेवा अभिलेख मूल्यांकन अंक एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं परिशिष्ट में दी गई रीतिनुसार प्रवीणता सूची तैयार कर चयन आयोग की वैबसाइट में प्रकाशित करेगा तथा पुलिस विभाग की वैबसाइट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के समान होने पर श्रेष्ठता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगाः--

(क) मौलिक नियुक्ति की तिथि।

(ख) मौलिक नियुक्ति की तिथि एक ही होने पर--जिसकी आयु अधिक होगी वह वरिष्ठ माना जायेगा।

(ग) मौलिक नियुक्ति की तिथि तथा जन्म तिथि दोनों के समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0टी0सी0 की ट्रैनिंग की समाप्ति पर लिखित एंव बाह्य परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित होगी।

(घ) मौलिक नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि तथा आर0टी0सी0 की परीक्षा से कुल प्राप्तांक समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0टी0सी0 ट्रैनिंग की बाह्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के समान होने पर श्रेष्ठता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगाः--

(क) मौलिक नियुक्ति की तिथि।

(ख) मौलिक नियुक्ति की तिथि एक ही होने पर--जिसकी आयु अधिक होगी वह वरिष्ठ माना जायेगा।

(ग) मौलिक नियुक्ति की तिथि तथा जन्म तिथि दोनों के समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0टी0सी0 की ट्रैनिंग की समाप्ति पर लिखित एंव बाह्य परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित होगी।

(घ) मौलिक नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि तथा आर0टी0सी0 की परीक्षा से कुल प्राप्तांक समान होने पर सम्बन्धित कर्मियों द्वारा आरक्षी पद के गहन प्रशिक्षण के दौरान आर0टी0सी0 ट्रैनिंग की बाह्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

परिशिष्ट--8 का संशोधन

12. मूल नियमावली की नीचे स्तम्भ--1 में दी गई विद्यमान परिशिष्ट-- 8 की प्रविष्टि 3 के स्थान पर स्तम्भ--2 में दी गई प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थातः--

स्तम्भ--1 **विद्यमान परिशिष्ट**	स्तम्भ--2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**
3 सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रकिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो सम्बन्धित	3 सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो एसे कर्मियों को भी उक्त परीक्षा में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही में दण्डित होता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय

कर्मी को रिट याचिका दायर करने का अधिकार होगा परन्तु यदि सम्बन्धित कर्मचारी निर्धारित समयअवधि में याचिका दायर कर विभाग को सूचित करने में असमर्थ रहता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे कार्मिक की अपील/विभागीय कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका चयन परिणाम लिफाफे में सील–बन्द कर दिया जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

कार्यवाही/रिट याचिका परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा में उनका परीक्षा परिणाम लिफाफे में बन्द कर दिया जायेगा। निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अपीलीय/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 124/XX-7/2019-01(63)2016**, dated February 10, 2021 for general information.

NOTIFICATION

February 10, 2021

No. 124/XX-7/2019-01(63)2016--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 87 read with section 3 the Governor in a view to amend the Uttarakhand Police Constable and Head Constable (Civil Police, Intelligence and Armed Police Service Rules, 2018 makes the following rules :--

The Uttarakhand Police Constable and Head Constable(Civil Police,Intelligence and Armed Police) Service (Amendment) Rules, 2021

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Police Constable and Head Constable(Civil Police, Intelligence and Armed Police)Service (Amendment) Rules, 2020

(2) It shall come in to force at once.

Amendment in rule 15 2. In the Uttarakhand Police Constable and Head Constable(Civil Police,Intelligence and Armed Police Service Rules, 2018 (hereinafter referred to as the Principal rules), for the existing rule 15(A)(iii),15(A)(vi), 15(A)(vii), 15(B), 15(E), 15(F) as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
(iii) For recruitment,the application form of the candidates shall be printed and the forms completely filled in and attached with all the necessary enclosures shall be submitted in the office of Senior Superintendent of Police /Superintendent of Police (Recruitment Center) shall be submitted upto 5.00 pm by the last date of submission . The application form can also be submitted to the prescribed recruitment centre directly on any working day.Incomplete form shall not be entertained in any case.	(iii) Advertisement for direct recruitment on the post of Constable shall be issued by Selection Commission. forms attached with all the necessary enclosures shall be submitted to commission upto 5:00 pm by the last date of submission. Application form may be deposited directly in working day in office of concerned selection commission . Incomplete form shall not be entertained in any case.
(vi) The application form as per advertisement should be printed on A4 size paper and prescribed fee deposited in the Government treasury by means of challan shall be presented in the Office of Recruitment Center.	(vi) The application form as per advertisement should be printed on A4 size paper and prescribed fee deposited in the Government treasury by means of challan shall be presented in the Office of Selection Comission.
(vii) Every application form as far as possible should accompany the certificates of age, high school, intermediate and graduation/post graduation, Home Guard certificate, caste certificate and certificate of dependent of freedom fighter and attested copies of other required certificates. It would be compulsory to submit the application forms (complete in all respect) in the office of Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police (Recruitment Centre).	(vii) Every application form as far as possible should accompany the certificates of age, high school, intermediate and graduation/post graduation, Home Guard certificate, caste certificate and certificate of dependent of freedom fighter and attested copies of other required certificates.

(B) All the copies of certificates submitted by a candidate shal be examined before issuance of the Admit Card.If any certificate which is shown to be annexed with the application form, is not found attached,the application form of the candidate may be rejected,after getting the application form	(B) All the copies of certificates submitted by a candidate shal be examined before issuance of the Admit Card.If any certificate which is shown to be annexed with the application form, is not found attached,the application form of the candidate may be rejected. Concerned Selection commission after examining Application form shall provide the district wise list of candidates to Police headquarter. Police headquarter shall provide the list of district to concerned centre in charge authorized for recruitment center to district. Center in charge of concerned district for physical standard and eligibility exam of candidate shall issue Admit card. For the Physical Standard Test,Physical efficiency Test the code/name/postal address/venue of the test along with the date and time, shall be clearly mentioned in the Admit Card information related to date fixed for recruitment may be provided to candidates through news paper by in-charge of concerned Recruitment Centre.Such document as required for examination by candidate shall be mentioned clearly on Admit Card.Admit card should reach atleast one week prior to the physical standard tests.In case, the Admit Card is not received by a week before the start of the test,the candidate may contact the concerned District Office.
examined through computer,the computerized Admit Card shall be issued to eligible candidates,the computerized Admit Card shall be issued to eligible candidates.For the Physical Standard Test,Physical efficiency Test and Medical Test,the code/name/postal address/venue of the test along with the date and time, shall be clearly mentioned in the Admit Card information related to date fixed for recruitment may be provided to candidates through news paper by in-charge of concerned Recruitment Centre.Such document as required for examination by candidate shall be mentioned clearly on Admit Card.Admit card should reach atleast one week prior to the physical standard tests.In case, the Admit Card is not received by a week before the start of the test,the candidate may contact the concerned District Office.	
(E) The candidates declared successful in Physical Efficiency Test shall be required to appear in Written Examination,the procedure of which is given in Appendix-4.	(E) Under said rule (c) district wise marks obtained list of candidates declared successful in physical efficiency examination shall be provided to commission by police headquater. Written exam of candidates declared successful shall be conducted by selection commission according to procedure given in Annexure-4.

(F)The related senior superintendent of police/Superintendent of police (in-charge recruitment centre) shall District wise prepare the final merit list of the candidates,who have cleared their written test which shall be on the basis of aggregate marks of Physical Efficiency Test and the marks obtained in written test and on the basis of Reservation Rules and seniority Rules under the prescribed provisions. In case of candidates securing equal marks.

The candidate senior in age shall be given preference and if exceptionally their date of birth is the same, the candidate, who has secured higher marks in the written test shall be given preference and if also scored equal marks in the test, then the preference shall be given on the basis of marks scored in Physical efficiency test . The list of finally selected candidates shall be affixed on the notice board and shall be published in the website of police department and also in the local news papers. No waiting list of the selected candidates shall be prepared

(F) According to provision vested in said rule (E) concerned selection commission on the basis of joint marks scored list(Adding marks scored in Physical efficiency test and written test) of candidates declared successful in written examination against the vacancy in view with existing reservation rules ,rules determined for seniority determination shall prepare the merit list In case of candidates securing equal marks.

The candidate senior in age shall be given preference and if exceptionally their date of birth is the same,the candidate, who has secured higher marks in the written test shall be given preference and if also scored equal marks in the test, then the preference shall be given on the basis of marks scored in Physical efficiency test . The list of finally selected candidates shall be published in the website of Selection Commission and shall be provided to police headquarter to publish on police department website.

Amendment of rule 18 **3.** In the Principal rules for the existing rule 18 as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
18. The candidates finally selected /qualified in the medical test shall be required to give a bond to the effect that if they serve the letter of resignation within 05 years from the	**18.** The candidates finally selected /qualified in the medical test shall be required to give a bond to the effect that if they serve the letter of resignation or they are relieved for any other service on their

commencement of the training or they are removed from the service or the service is left by the said candidate. then as per rules, they shall be required to refund the police department the amount incurred in their training or the salary given to them.

request within 05 years from the commencement of the training then as per rules, they shall be required to refund the police department the amount incurred in their training or the salary /stipend given to them during the training.

Amendment of rule 19 **4.** In the Principal rules, for the existing rule 19 as set out in column I rules as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
19.Candidates,finallyselected/successful in the medical test ,shall be given appointment letter in the prescribed format by the Appointing Authority. The prescribed formal of appointment letter shall be provided to the concerned officer by the Police Head Quarters.	19.Candidates,finallyselected/successful in the medical test according to provision of rule3(b),shall be given appointment letter in the prescribed format according to direction of Superintendent of Police

Amendment of rule 24 **5.** In the Principal rules, for the existing rule 24(a)as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
(a) 50 percent vacancies to be filled through departmental exam. Only those candidates who have not completed 45 years of age shall be entitled for departmental exam.	(a) 50 percent vacancies to be filled through departmental exam. Only those constable(male/female) who have not completed 45 years of age shall be entitled for departmental exam

Insertion of rule 25 A **6.** In the Principal rules, after the rule 25 new rule 25 A shall be inserted as follows ,namely:-

Refusal to take promotion In relation to employee refuses to take promotion provision of Uttarakhand State Service Promotion Forgo rules, 2020 and direction issued by department of personnel shall be applicable.

Amendment of rule 27 7. In Principal rule title of existing rule 27(a) as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
The seniority of the persons appointed substantively shall be determined on the basis of Uttarakhand Government Servant Seniority Rules,2002 as amended from time to time.	The seniority of the persons appointed substantively shall be determined on the basis of Uttarakhand Government Servant Seniority Rules,2002 as amended from time to time.
At the time of promotion process etc. a cadre wise seniority list shall be prepared for the employees of Civil Police and Intelligence.	At the time of promotion process etc. a cadre wise seniority list shall be prepared for the employees of Civil Police , Intelligence and Armed Police.

Omission of rule 29 8. In Principal rules, rule 29 shall be omitted

Amendment of Annexure-4 9. In the Principal rules, in annexure -4 while omitting entry 10 for the existing entry 2,3,8,9 , as set out in column-1 below, the entry as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
2. The written test shall be conducted by the institution authorized by government at that time.	2. The written test shall be conducted by the selection commission mentioned in rule3(n).
3. It would be ensured that the candidates have been issued Admit Card one week before the commencement of the examination.If any candidate doesn't get the Admit Card one week earlier,he may contact the concerned board/recruitment centre of concerned district of its helpline/mobile/landline telephone or through website and may get the duplicate copy of the same. The candidates may also be informed about the test through newspapers by the officer –in-charge of concerned recruitment centre.	3. It would be ensured that the candidates have been issued Admit Card one week before the commencement of the examination. If any candidate doesn't get the Admit Card one week earlier, he may contact the concerned Selection Commission helpline mobile/landline telephone or through website and may get the duplicate copy of the same.

8. The OMR sheet for the written test shall be in three copies along with carbon copy. The first sheet shall be forwarded to concerned institution for evaluation. The second sheet shall be kept in double lock in the supervision of the in-charge of Recruitment Centre and the third sheet may be take away by the candidate.	8. The OMR sheet for the written test shall be in two copies along with carbon copy. The first sheet shall kept with the institution conducting examination for evaluation.Whereas second sheet may be taken away by the candidate.
9. After the written test , the answer keys shall be published on the website of concerned selection commission and Uttarakhand Police.	9. After the written test, the answer keys shall be published on the website of concerned selection commission.

Amendment of Annexure-6 10. In the Principal for the existing entries 5 and 9 of annexure – 6 as set out in column-1 below, the entry as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
5. The service records for the last 05 years must be satisfactory and no adverse entry have been made, in the last 05 years integrity must not have been withheld; Provided that if the appeal of the punished employee is pending or the period for the appeal has not elapsed or the departmental proceeding is under process, the said candidate shall be allowed to appear conditionally for the above examination, but if during such examination process, his appeal is dismissed/ rejected or he is punished during departmental proceedings then concerned candidate shall be ousted from the promotional process but if the appeal / departmental proceeding/ writ petition of such employee is not finalized during the examination process, then the result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision of such appeal/ departmental proceedings.	5. The service records for the last 05 years must be satisfactory and no adverse entry have been made, in the last 05 years integrity must not have been withheld; Provided that if the appeal of the punished employee is pending or the period for the appeal has not elapsed or the departmental proceeding is under process, the said candidate shall be allowed to appear conditionally for the above examination, but if during such examination process, his appeal is dismissed/ rejected or he is punished during departmental proceedings then concerned candidate shall be ousted from the promotional process but if the appeal / departmental proceeding/ writ petition of such employee is not finalized during the examination process, then the result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision of such appeal/ departmental proceedings. Suspended employee shall be allowed to appear in the

Suspended employee shall be allowed to appear in the test in anticipation of the decision.	test in anticipation of the decision.After completion of appeal/Departmental proceedings or final decision of writ petition in anticipation of decision sealed envelope of employee shall be opened.
9. The selection committee shall prepare the final merit list on the basis of marks obtained by the candidates in the written test and for the service record and according the seniority and provincial qualifying exam and prevailing reservation rules and according to the post available and shall select such deserving candidates for the promotional course/ training of head constable through promotion and the list of such selected candidates shall be made available to the police headquarter.	9. Evaluating service record of employee/candidates successful in physical efficiency test according to standard prescribed ,publicizing marks given on service record of employee ,receiver objection/no objection on them by determining time limit of 15 days evaluation list shall be finalized, on which no change shall be possible with a view of transparency. Said final list(marks obtained in service records and physical efficiency test) shall be presented to concerned selection commission through police headquarters selection commission on the basis of joint marks scored list(Adding marks scored in Physical efficiency test,service record evaluation marks and marks scored in written test) of candidates declared successful in written examination in accordance with existing reservation rules and manner given in annexure shall publish the prepared merit list on its website and shall present it to police headquarters for publication on police department website.

Amendment of Annexure-7 11. In the Principal for the existing entries 5 and 10 of annexure – 7 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
5. The service records for the last 05 years must be satisfactory and no adverse entry have been made, in the last 05 years integrity must not have been withheld;	5. The service records for the last 05 years must be satisfactory and no adverse entry have been made, in the last 05 years integrity must not have been withheld;

Provided that if the appeal of the punished employee is pending or the period for the appeal has not elapsed or the departmental proceeding is under process, the said candidate shall be allowed to appear conditionally for the above examination, but if during such examination process, his appeal is dismissed/ rejected or he is punished during departmental proceedings then concerned candidate shall be ousted from the promotional process but if the appeal / departmental proceeding/ writ petition of such employee is not finalized during the examination process, then the result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision of such appeal/ departmental proceedings. Suspended employee shall be allowed to appear in the test in anticipation of the decision.

Provided that if the appeal of the punished employee is pending or the period for the appeal has not elapsed or the departmental proceeding is under process, the said candidate shall be allowed to appear conditionally for the above examination, but if during such examination process, his appeal is dismissed/ rejected or he is punished during departmental proceedings then concerned candidate shall be ousted from the promotional process but if the appeal / departmental proceeding/ writ petition of such employee is not finalized during the examination process, then the result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision of such appeal/ departmental proceedings. Suspended employee shall be allowed to appear in the test in anticipation of the decision.After completion of appeal /Departmental proceedings or final decision of writ petition in anticipation of decision sealed envelope of employee shall be opened.

10. The selection committee shall prepare the final merit list on the basis of marks obtained by the candidates in the written test and for the service record and according the seniority and provincial qualifying exam and prevailing reservation rules and according to the post available and shall select such deserving candidates for the promotional cours/ training of head constable through promotion and the list of such selected candidates shall be made available to the police headquarter.

10. Evaluating service record of employee/candidates successful in physical efficiency test according to standard prescribed ,publicizing marks given on service record of employee ,receiver objection/no objection on them by determining time limit of 15 days evaluation list shall be finalized, on which no change shall be possible with a view of transparency. Said final list(marks obtained in service records and physical efficiency test) shall be presented to concerned selection commission through police headquarters selection commission on the basis of joint marks scored

	list(Adding marks scored in Physical efficiency test,service record evaluation marks and marks scored in written test) of candidates declared successful in written examination in accordance with existing reservation rules and manner given in annexure shall publish the prepared merit list on its website and shall present it to police headquarters for publication on police department website.
In case the candidates secure equal marks for service records and for written test, the seniority shall be determined as under:-	In case the candidates secure equal marks for service records and for written test, the seniority shall be determined as under:-
(a) Date of substantive appointment (b) In case of the date of appointment being the same the candidate of higher age shall be deemed senior. (c) In case of the date appointment and date of birth being same the seniority shall be determined for the post of constable on the basis of marks obtained on completion of RTC training, in written test as well as in outer test. (d) In case of the date substantive appointment, date of birth and the marks obtained in the RTC training equal, then the seniority shall be determined on the basis of marks obtained in the outer test of RTC training.	(a) Date of substantive appointment (b) In case of the date of appointment being the same the candidate of higher age shall be deemed senior. (c) In case of the date appointment and date of birth being same the seniority shall be determined for the post of constable on the basis of marks obtained on completion of RTC training, in written test as well as in outer test. (d) In case of the date substantive appointment, date of birth and the marks obtained in the RTC training equal, then the seniority shall be determined on the basis of marks obtained in the outer test of RTC training.

Amendment of Annexure-8 **12.** In the Principal for the existing entry 3 of annexure – 8 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
3. The service records for the last 05 years must be satisfactory and no adverse	**3.** The service records for the last 05 years must be satisfactory and no adverse

entry have been made, in the last 05 years integrity must not have been withheld;

Provided that if the appeal of the punished employee is pending or the period for the appeal has not elapsed or the departmental proceeding is under process, the said candidate shall be allowed to appear conditionally for the above examination, but if during such examination process, his appeal is dismissed/ rej ected or he is punished during departmental proceedings then concerned candidate shall be ousted from the promotional process but if the appeal / departmental proceeding/ writ petition of such employee is not finalized during the examination process, then the result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision of such appeal/ departmental proceedings Suspended employee shall be allowed to appear in the test in anticipation of the decision.

entry have been made, in the last 05 years integrity must not have been withheld;

Provided that if the appeal of the punished employee is pending or the period for the appeal has not elapsed or the departmental proceeding is under process, the said candidate shall be allowed to appear conditionally for the above examination, but if during such examination process, his appeal is dismissed/ rejected or he is punished during departmental proceedings then concerned candidate shall be ousted from the promotional process but if the appeal / departmental proceeding/ writ petition of such employee is not finalized during the examination process, then the result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision of such appeal/ departmental proceedings. Suspended employee shall be allowed to appear in the test in anticipation of the decision. After completion of appeal /Departmental proceedings or final decision of writ petition in anticipation of decision sealed envelope of employee shall be opened.

By Order,

NITESH KUMAR JHA,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/107—भाग 1—2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 मार्च, 2021 ई0 (फाल्गुन 22, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

30 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 881/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2020–सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट–3 दिनांक 18.08.2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3 दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करतें हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ। उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा :–

क0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	प्रवीण सिंह पुत्र श्री नंदन सिंह ज्खनयाल गांव, जखोली जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246421	UK-1320190000316 VALIDITY (NT) 19-02-2039	ओवरस्पीड।	SP TEHRI GARHWAL	27.01.2021 से 26.04.2021

2	प्रमेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह ग्राम डोंडा पो0 चौरिया चौरा जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246141	**UK-1320150008569** VALIDITY (NT) 28-10-2035	ओवरस्पीड।	SP TEHRI GARHWAL	27.01.2021 से 26.04.2021
3	मुकेश लाल पुत्र श्री राम लाल ग्राम पिल्लू, अगस्तमुनि जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246171	**UK-1320120002476** VALIDITY (NT) 21-06-2032	ओवरलोड सवारी(भार वाहन)।	SP CHAMOLI	23.01.2021 से 22.04.2021
4	धर्मपाल सिंह पुत्र श्री कमल सिंह ग्राम लिस्वाल्टा थाना रूद्रप्रयाग जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 249142	**UK-1320170011394** VALIDITY (NT) 04-03-2032	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
5	रणजीत सिंह पुत्र श्री विजय सिंह ग्राम सौंदा जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246475	**UK-1320180000895** VALIDITY (NT) 04-05-2029	मोबाईल फोन का प्रयोग	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
6	मनवर सिंह पुत्र श्री कुँवर सिंह ए0एच0 47 ए0 लवरेंस रोड नई दिल्ली पिन– 110035	**DL-0820050283058** VALIDITY (NT) 24-08-2025	ओवरलोड सवारी(यात्री वाहन)।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
7	विनय चंद्र पुत्र श्री बेनी प्रसाद ग्राम व पो0 त्रियुगीनारायण जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246171	**UK-1320130004665** VALIDITY (NT) 23-09-2033 VALIDITY (T) 27-09-2020	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
8	नितिन पुत्र श्री राम बाबू राहतपुरा, आई0टी0आई0 सिविल लाईन–02 ईटावा उ0प्र0 पिन– 206001	**UP-7520190001207** VALIDITY (NT) 14-02-2039	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
9	श्री के0एस0 राणा पुत्र श्री इंद्र सिंह 228 एच0ई0डी0, आरईजीटी 56 ए0पी0ओ0 ललितपुर (उ0प्र0)।	**4559/LTP/09** VALIDITY (NT) 25-09-2029	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
10	राकेश चन्द्र पुत्र श्री जीतपाल सिंह ग्राम सैमल डुंगर जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246171	**UK-1320140005952** VALIDITY (NT) 10-07-2034	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
11	अर्जुन सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह ग्राम दैडा उखीमठ जनपद रूद्रप्रायग पिन– 246171	**UK-1320170011844** VALIDITY (NT) 04-01-2037	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG,	27.01.2021 से 26.04.2021
12	धरमवीर सिंह पुत्र श्री खेम चंद्रा ग्राम बजीरा पो0 जखोली जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246141	**UK-1320150008484** VALIDITY (NT) 19-05-2030	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
13	राकेश सिंह पुत्र श्री मतवार सिंह ग्राम संडार जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246171	**UK-1320190000879** VALIDITY (NT) 04-01-2031	ओवरलोड सवारी(दुपहिया वाहन)	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021

14	विवके चंद पुत्र श्री ब्रिज लाल ग्राम घेघड, पो0 कांडा जखोली जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246475	UK-1320200000673 VALIDITY (NT) 19-04-2041	ओवरलोड सवारी(दुपहिया वाहन)	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
15	विजय पाल सिंह रावत पुत्र श्री बच्चन सिंह रावत चंद्रापुरी, उखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246171	UK-1320081917984 VALIDITY (NT) 27-12-2024	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
16	पंकज सिंह पुत्र श्री प्रबल सिंह ग्राम तूना पो0 सुमेरपुर तूना जनपद रूद्रप्रयाग पिन–246171	UK-1320140006258 VALIDITY (NT) 11-09-2034	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
17	दीपक शर्मा पुत्र श्री सदानंद ग्राम नैली थाना पठालीदार जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246171	UK-1320110000001 VALIDITY (NT) 30-01-2029	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
18	राकेश चंद्र पुत्र श्री मनवर सिंह ग्राम पाली पो0 बसुकेदार, उखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246425	UK-1320200000632 VALIDITY (NT) 19-03-2025	ओवरलोड सवारी(भार वाहन)।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
19	सुधीर सिंह बिष्ट पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह बिष्ट ग्राम खुडीला, पो0 बिरमोलीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल।	13333/RPG/09 VALIDITY (NT) 21-05-2029	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
20	नवीन कुमार पुत्र श्री मंगल लाल ग्राम जगोठ, उखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246425	UK-1320180001270 VALIDITY (NT) 31-07-2038	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
21	अंकुज भट्ट पुत्र श्री विजयराम भट्ट डोंडा चौरा जखोली जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246475	UK-1320190000097 VALIDITY (NT) 13-01-2039	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
22	अंकित भण्डारी पुत्र श्री मदन सिंह भण्डारी ग्राम चाका पो0 सिल्ली, जखोली जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246421	UK-1320190000187 VALIDITY (NT) 29-01-2039	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
23	उमेन्द्र पुत्र श्री राम सिंह ग्राम कुजेठी खेटी, जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246439	UK-1420050030741 VALIDITY (NT) 27-12-2030	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
24	अजय सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह ग्राम सेम पो0 डंगवाल गॉव जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246171	UK-1320150008436 VALIDITY (NT) 07-10-2035	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
25	गोविंद राम ध्यानी पुत्र श्री बच्ची राम ध्यानी ग्राम सुमाडी भरदार पो0 तिलवाड़ा जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246474	UK-1320120003229 VALIDITY (NT) 02-02-2018	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021

26	साहिल राज पुत्र श्री तुलसी राम गुलाबराय जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246171	**UK-1320160009651** VALIDITY (NT) 15-05-2036	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
27	भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुशाल सिंह पाब, पाऊ उखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246419	**UK-1320180001356** VALIDITY (NT) 08-08-2038	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
28	संदीप सिंह पुत्र श्री विजय सिंह ग्राम किणजानी पो0 बांड़व जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246425	**UK-1320150007056** VALIDITY (NT) 05-02-2035 VALIDITY (T) 14-02-2022	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
29	शुभाशीष पुत्र श्री पूरणलाल ग्राम नकोट जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246421	**UK-1320180000215** VALIDITY (NT) 09-05-2036	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
30	नागचंद्र पुत्र श्री इन्द्र लाल ग्राम गेठणा पो0 कोट बांगर जखोली जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246141	**UK-1320150007770** VALIDITY (NT) 10-06-2035	ओवरस्पीड।	SP RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
31	राहुल सिंह नेगी पुत्र श्री गंभीर सिंह नेगी जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246141	**UK-1320180002072** VALIDITY (NT) 14-11-2038	बिना हेलमेट वाहन का संचालन	ARTO RUDRAPRAYAG	25.01.2021 से 24.04.2021
32	नितेश रावत पुत्र श्री दलबीर सिंह फ्लेट न0–72 सेक्टर–5 कल्पना वैशाली साहिबाबाद गाजियाबाद, उ0प्र0 पिन– 201010	**UP-1420200035931** VALIDITY (NT) 18-01-2041	बिना हेलमेट वाहन का संचालन	ARTO RUDRAPRAYAG	19.01.2021 से 20.04.2021
33	महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुदामा सिंह ग्राम व पो0 तिलनी सुमेरपुर जनपद रूदप्रयाग पिन– 246171	**UK-1320190001458** VALIDITY (NT) 10-09-2029	बिना हेलमेट वाहन का संचालन	ARTO RUDRAPRAYAG	13.01.2021 से 12.04.2021
34	संजय सिंह नेगी पुत्र श्री गुलाब सिंह नेगी ग्राम बुरूआ, उखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246469	**UK-1320190000843** VALIDITY (NT) 31-12-2038	बिना हेलमेट वाहन का संचालन	ARTO RUDRAPRAYAG	29.01.2021 से 28.04.2021
35	धीरज सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह चौपरा जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246495	**UK-1320190000031** VALIDITY (NT) 11-06-2038	ओवरलोड सवारी(दुपहिया वाहन)।	ARTO RUDRAPRAYAG	29.01.2021 से 28.04.2021
36	महताब पुत्र श्री बुद्दू ग्राम व पो0 मण्डावली, नजीबाबाद बिजनौर उ0प्र0 पिन– 246749	**UP-2020180009289** VALIDITY (NT) 31-12-2037	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021

37	संदीप रावत पुत्र श्री गोकुल सिंह रावत मकान स0 359 ई0एस0आई0सी0 कॉलोनी सेक्टर–56, नोएडा गौतम बुद्ध नगर उ0प्र0 पिन– 201301	UP-1620160026877 VALIDITY (NT) 06-12-2036	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021
38	यशपाल सिंह पुत्र श्री किरनपाल सिंह 235 एफ0एस0आई0 कॉलोनी, सेक्टर–56 नोएडा, जी0बी0 नगर ।	1613000222 VALIDITY (NT) 06-01-2033	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	27.01.2021 से 26.04.2021

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/107–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 मार्च, 2021 ई0 (फाल्गुन 22, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे शैक्षिक प्रमाण पत्रों में त्रुटिवश मेरा नाम विपिन कुमार कश्यप (Vipin Kumar Kashyap) दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम विपिन कुमार (Vipin Kumar) है। भविष्य में मुझे विपिन कुमार के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विपिन कुमार पुत्र स्व0 भगत सिंह
निवासी मकान नं. 757, टाईप–2,
सेक्टर–4, बी.एच.ई.एल., रानीपुर
हरिद्वार।

कार्यालय नगर पालिका परिषद् बड़कोट–उत्तरकाशी

नगर पालिका बड़कोट प्रस्तावित उपविधि 2019

07 सितम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 375/2–लेखा–उप0प्र0/2017–18–नगर पालिका अधिनियम की धारा 298 सूची–1 के खण्ड (घ) के उपखण्ड क एवं ख खण्ड झ के घ के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अधिनियम की धारा 273 एवं 74 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण एवं (पर्यावरण संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गयी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15 (ड.) 15 (च) एवं 15 (यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर पालिका परिषद बड़कोट द्वारा बनाये गये निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिये उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार नगर पालिका परिषद् के अधिवेशन दिनांक 06/08/2019, में प्रस्ताव सं0–02, के माध्यम से रखा गया, एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प में पारित हुआ। यदि किसी को कोई आपत्ति या सुझाव देने है तो कार्यालय नगर पालिका बड़कोट में प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर कार्य दिवसों के लिखित रूप में दि जा सकती है। तद्उपरान्त किसी भी प्रकार के आपत्ति या सुझाव को नहीं लिया जायेगा।

अध्याय–1
सामान्य

1:– संक्षिप्त नाम और लागू होनें की तारिख:

(1) ये उपनियम नगर पालिका परिषद बड़कोट, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपनियम 2019 कहलायेगा ।

(2) ये उपनियम नगर पालिका बड़कोट के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होनें की तारीख से प्रभावी होंगे ।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2017 गजट नौटफिकेशन 16 मई 2017 द्वारा प्रख्यातित उपविधि नगर पालिका परिषद बड़कोट ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपनियम 2019 लागू होनें की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

2:– ये उपनियम नगर पालिका बड़कोट की सीमा के भीतर लागू होंगे ।

3:– परिभाषायें –

(1) जब तक की सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपनियमों में निम्नांकित परिभाषाऐं लागू है ।

(क) **" बल्क उद्यान एवं बागवान कचरा "** का अर्थ है, उद्यानों , बागों आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा , जिसमें घास कतरन, खर–पतवार , कार्बनयुक्त काष्ठ बाउन सामग्री जेसे पेड़ों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेडों की कटिंग , टहनियॉ , लकड़ी की कतरन ,भूसा ,सूखी पत्तियॉ, पेड़ों की छंटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा , जो दैनिक जैविक अपघटीय कचरे से संकलन मे समायोजित नहीं किया जा सकता है

(ख) **"बल्क कचरा उत्सर्जन"** का अर्थ है कि ठोस कचरा प्रबन्धन नियम 2016(जिसमें बाद में यहा एस0 डब्लू एम0 नियम कहा जायेगा) के नियम 3 (1) (8) के अर्न्तगत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और

सम्बद्व वार्ड कार्यालय के सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक ।

(ग) **"संग्रह"** का अर्थ है , कचरा उत्सर्जन के श्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण विन्दुओं या किसी अन्य स्थान तक पहूँचाना ।

(घ) " **सक्षम प्राधिकारी** " का अर्थ है कि नगर पालिका का अध्यक्ष ,अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति ।

(ड.)" **निर्माण एवं विध्वंश कचरा** " का अर्थ है जो निर्माण एवं विध्वंश कचरा नियम 2016 नियम 3 (1) (स) में परिभाषित होगा ।

(च) " **स्वच्छ क्षेत्र** " का अर्थ है किसी परिवार के सामनें और चारों और या निकटवर्ती फूटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल , जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे सामिल है , जिनका रख–रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना है ।?

(छ) " **सामुदायिक कूड़ा घर (ढलाव)** का अर्थ है नगर पालिका द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिको और/या अधिभोगियों द्वारा मिलकर सड़क किनारे/ऐसे मालिकों / अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिये स्थापित और संचालित कोई संग्रह केन्द्र ।

(ज) " **कंटेनराइज्ड हैंड कार्ट** " का अर्थ है ,ठोस कचरे की विन्दूदर विन्दू संग्रह हेतु नगर पालिका या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/ एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला /ठेली।

(झ) " **सुपुर्दगी** " काअर्थ किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पालिका के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिये नगर पालिका द्वारा नियुक्त,प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर पालिका या निकाय द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त ऐजेंसी द्वारा प्रदान किये गये वाहन में डालना ।

(ञ) **"ई –कचरा** " का अर्थ वही होगा जो ई –कचरा प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 3 (1) (आर) में निर्दिष्ट किया गया है ।

(ट) " **फिक्सड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन(एफसीटीएस)** " का अर्थ है एक ऊर्जा चालित मशीन जिसका डिजाइन बिखरे हुये ठोस कचरे को कम्पैट करनें के लिये किया गया है , आर प्रचालन के समय स्थिर रहती है प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती है , जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है ।

(ठ) " **कूड़ा कचरा**" का अथ है, सभी प्रकार का कूड़ा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ सामिल जिसे फेंकना अथवा संग्रह करना इन उपनियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित है , और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जन्तु को परेशानी होनें या पर्यावरणअथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहूँचानें की आशंका हो ।

(ड) " **गंदगी फैलानें** " का अर्थ है , किसी ऐसी वस्ती में गन्दगी उत्सर्जित करना , डालना, दबाना अथवा तत्सम्बन्धी अनुमति देना, जहॉ वह गिरती, ढलती, बहती धुलकर रिसकर अथवा किसी अन्य तरीके से पहूंचती होअथवा गन्दगी के उत्सर्जित होनें , बह कर आनें, धुल कर आनें या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आनें की आशंका हो ।

(ढ) " **स्वामी** " स्वामी का अर्थ है जो किसी भवन ,या भूमि या किसी भाग के मालिक क रूप में अधिकारों का इस्तेमाल करता है ।

(ण) " **अधिभोगी/पट्टेदार** " का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे वयक्ति भी सामिल है जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिये किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है।

(प) " **पैलेटाइजेशन**" पैलेटाइजेशन का अर्थ है, एक प्रकिया,जिसमें पैलैट तेयार की जाती है जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सेलेन्ड्रीकल टूकड़े होते है और उनके ईधन पैलैटस भी सामिल होते है जिन्हें रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता है ।

(फ) " **निर्धारित** " का अर्थ है, एसडब्लूएम नियमों और /या इनउपनियमों द्वारा निर्धारित ।
(ब) " **सार्वजनिक स्थल** " का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान जो आम लोगों के इस्तेंमाल और मनोरंजन के लिये सहज शुलभ है , भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तंमाल या उपभोग किया जा रहा है या नहीं ।
(भ) " **संग्रहण**" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थाई तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंन्दगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके ।
(म) " **सैनेटरी वर्कर** " का अर्थ है नगर निगम इलाकों में ठोस कचरा एकत्रित करनें या ळटानें अथवा नालियों का साफ करनें के लिये नगर निगम /ऐजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति ।
(य) " **शेडयूल**" का अर्थ है इन उपनियमों से सम्बद्व शेड्यूल ।
(र) " **इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी** " का अर्थ है ,नगर पालिका द्वारा समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिये कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह ,ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कबर की जा सके
(ल) " **खाली प्लाट** " का अर्थ है, प्राईवेट पार्टी /व्यक्ति/सरकारी ऐजेंसी के सम्बद्व कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान जिस पर किसी का कब्जा न हो ।
(2) यहॉ प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किये गये शब्दों ओर अभिव्यक्तियों , का अर्थ वही होगा , जो ठोस कचरा प्रबन्धन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंश कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा ।

अध्याय–2
ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4.ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण
(प) सभी कचरा उत्सर्जकों के लिये अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के सिथलों से उत्सर्जित होनें वाले ठोस कचरे को निमित रूप से पृथक करें और उसे संग्रहीत करें । यह पृथक्करण मुख्य रूप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगा :–

(क) गैर–जैव अपघटीय या सूखा कचरा
(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कंचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी के निर्देशों के अनुसार पृथ्क्कीकृत कंचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।
(ii) प्रत्येक बल्क कंचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस कंचरे को पृथक करें और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गो में:–
(क) गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरा
(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा; जैविक (गीला) कंचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कीकृत कंचरे को अधिकृत कंचरा संग्रहण एंजेसी के जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कंचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।
(iii) पृथक किए गये कंचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगा:–
हरा:– जैव अपघटीय कचरे के लिए;
नीला:– गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए;
काला:– घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए
(iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी की भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर कंचरे का पृथक्कीकरण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कंचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं। जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक

के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कंचरे को नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा निर्देशित कंचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी की भागीदारी के साथ सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कंचरे का स्रोत पर पृथक्कीकरण हो, पृथक किए गए कंचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूड़ा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें। जैव अपघटीय कंचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कंचरे को नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vi) सभी होटल और रेस्त्रां, नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी की भागीदारी से कंचरे का स्रोत पर पृथक्कीकरण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कंचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामाग्री अधिकृत कंचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय कंचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा निर्देशित कंचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(vii) कोई व्यक्ति गैर–लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी अनिवार्य होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कंचरे को स्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें।

(viii) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कंचरे को तत्सम्बन्धी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामाग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कंचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

(ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामाग्री, निपटान योग्य प्लेटे, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानों में संग्रहित करेगा और उसे नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को ही सौपेगा।

(x) उद्यान और बागवानी के कंचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कंचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कंचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कंचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कंचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कंचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(xii) निर्माण कार्यो और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कंचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्रित और निपटान किया जायेगा।

(xiii) बायो मेडिकल कचरा, ई–कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कंचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कंचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(xiv) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोडकर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कंचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हें ऐसे कंचरे को अलग से बंद कन्टेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्रित करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कंचरा वाहन/स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कंचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा।

(xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कंचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निकाय के श्रमिक/वाहन/कंचरा एकत्रितकर्ता/कंचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कंचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गये कंचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय–समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय–3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:–

(i) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कंचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कंचरा एकत्रित किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कंचरा एकत्रित करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(ii) कंचरे को स्व–स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कंचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कंचरे को एकत्रित करने का प्रबन्ध किया जायेगा।

(iii) सब्जी फल, फूल, मॉस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कंचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्रित किया जाएगा।

(iv) बागवानी और उद्यान संबंधी कंचरा अलग से एकत्रित किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जायेगें।

(v) फलों और सब्जी, बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कंचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कंचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

(vi) कंटेनरों में कंचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबाव के कारण अपरिहार्य हो तो कंचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के सहत किया जाएगा।

(vii) कंचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कंचरे को नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कंचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात टिप्पर/ट्रक आदि वाहनों में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उप–खंड (पअ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोडकर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कंचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(viii) कंचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कंचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे वाहन/ट्रक/टिप्पर आदि प्रयुक्त किए जायेगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगें और उनमें जैव अपघटीय और गैर–जैव अपघटीय कंचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(ix) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कंचरा संग्रह वाहन में कंचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(x) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कंचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और ये योजनायें तालिकाबद्व होगी जो नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी अथवा अधिसूचित अधिकृत कंचरा संग्रहकर्ता द्वारा मुख्य स्थलों पर एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचंरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी भविष्य में नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी अथवा शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

(xi) ऐसी कालोनी/गलियॉ जहॉ टिप्पर/ट्रक या वाहन की सेवाएं संभव न हो तथा वहॉ पर 50 परिवार से अधिक परिवार निवासरत् हो, के लिए भाडा ढोनें वाले श्रमिकों से कण्डियों के माध्यम से कूडा सड़क तक लाया जायेगा तथा कूडा का निस्तारण कूड़ा वाहनों में किया जायेगा।

(xii) अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां ट्रक/टिप्पर आदि वाहन भी न जा सकें वहां भाडा ढोनें वाले श्रमिकों से कण्डियों के माध्यम से कूडा सड़क तक लायां जायेगा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जायेगे।

(xiii) ऐसी छोटी, तंग और भीड–भाड़ वाली गलियों/लेनों में जहॉ ट्रक/टिप्पर/रिक्सा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ती/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कंचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी अथवा शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(xiv) ऑटो टिप्पर/ट्रक/रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कंचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कंचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(xv) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी या उसके अधिसूचित अधिकृत कंचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कंचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों जहॉ पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

अध्याय–4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कंचरे का संग्रहण निम्नांनुसार किया जाएगा

(i) घरों में एकत्रित किया गया पृथक ठोस कंचरा, कंचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कंचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(ii) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग–अलग स्टोरेज होगे :–

(क) गैर–जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा
(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा
(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(iii) पृथक किए गए कंचरे के संग्रहण के लिए नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरों का इस्तेमाल निम्नांकित के अनुसार किया जायेगा :–

- **हरा : जैव अपघटीय कचरे के लिए**
- **नीला : गैर–जैव अपघटीय कचरे के लिए**
- **काला : घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए**

नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी समय–समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कंचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कंचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कंचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(iv) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कंचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आसपास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(v) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप–नियमों में वर्णित नियमों के अनुसार अलग अलग रंगो के होगें।

(vi) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रखकर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कंचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(vii) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कंचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कंचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

(viii) सभी आवास सहकारी विभागों, समितियों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप–नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सकें।

(ix) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें तथा आवश्यक कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव करें।

(x) सूखे कंचरे (गैर–जैव उपघटीय कंचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रिसाईक्लिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कंचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कंचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कंचरे की मात्रा के अनुसार रिसाईक्लिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कंचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कंचरा (गैर–जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रिसाईक्लिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कंचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रिसाईक्लिंग योग्य सूखा कंचरा इन रिसाईक्लिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और/या नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी से अधिकृत कंचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बेच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिसाईक्लिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कंचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रिसाईक्लिंग योग्य कंचरे को ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रिसाईक्लिंग यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

(गप) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कंचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कंचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कंचरे को प्राप्त किया जाऐगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कंचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कंचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कंचरा पृथक्कीकृत तरीके से एकत्रित करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कंचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कंचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय–5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:–

(i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलिभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कंचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है,जो निकाय द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(ii) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी अथवा अधिकृत एजेन्सी द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र में कंचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कीकृत जैव अपघटीय कंचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो–मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुंचाया जाएगा।

(iv) जहॉ कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कंचरे के लिए, ऐसे कंचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(v) एकत्रित किया गया गैर–जैव अपघटीय कंचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुचाया जाएगा।

(vi) निर्माण और विध्वंसजन्य कंचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।

(vii) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी कंचरे की समुचित ढंग से ढुलाई का प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कंचरा और नालियों से निकाली गई गाद कार्य समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(viii) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कंचरे के बार–बार परिचालन से बचा जा सकें।

(ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कंचरे को केवल एम.टी.एस. अथवा एफ.सी.टी.एस. जहॉ कही प्रदान किए गए हो, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(x) यदि किसी कारणवश एम.टी.एस/एफ.सी.टी.एस. निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जायेगे तो लदा वाहन एम.टी.एस. अथवा एफ.सी.टी.एस. के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कंचरे को उतारने के लिए नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(xi) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हुक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(xii) कंचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कंचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए।

(xiv) कंचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(xv) इस सेवा में संलग्न एम.टी.एस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कंचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट टिप्परों/ट्रक या अन्य वाहनों/कूडादानों से कंचरा प्राप्त करेंगा।

(xvi) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कंचरा संग्रह करने में लगे टिप्परों/ट्रको आदि से कंचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एम.टी.एस तैनात किए जाएगें।

(xvii) एम.टी.एस और एफ.सी.टी.एस. का डिजाइन ऐसा होगा, जो कंचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर–उधर न फैले।

(xviii) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एम.टी.एस और एफ.सी.टी.एस. के इर्द गिर्द रिसे हुए कंचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चाहिए।

(xviv) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगाये जाने की व्यवस्था कर सकती है।

अध्याय–6
ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :–

(i) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अंजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकीयों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा :–

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो–मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कंचरे की जैव–स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;

(ख) केन्द्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो–मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;

(ग) कंचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कंचरा आधारित बिजली संयंत्रो को कंचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथबा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(ii) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आर.डी.एफ.) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(iii) कंचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कंचरे का पूर्ण पृथक्कीकरण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्व अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

(iv) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रिसाईक्लिंग योग्य पदार्थ रिसाईक्लिंग करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा–निर्देशः–

(i) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कंचरे वाले अन्य कंचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कंचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(ii) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कंचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(iii) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कंचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए।

(iv) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कंचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता की स्थितियां बनाए रखना भी अनिवार्य होगी।

अध्याय–7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी अपशिष्ठ कंचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कंचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एस.डब्ल्यू.एम. नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैण्डफिल और सम्बद्व ढॉचे का निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव करेगा।

अध्याय–8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमाल कर्ता शुल्कः–

(क) कंचरा उर्त्सजकों से कंचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची–1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कंचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी स्वंय अथवा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कंचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी ऑनलाईन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बजाय 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची–1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू–राजस्व के माध्यम से बकायादार की भाति वसूल की जायेगी।

12. एस.डब्ल्यू.एम. नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंड :–

(क) एस.डब्ल्यू.एम. नियमों अथवा इन उप–नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप–नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर–अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महिना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक,सफाई निरीक्षक, कर निरीक्षक, कर्मचारी एवं सब इन्स्पेक्टर थाना/चौकी प्रभारी होगें तथा जिला मजिस्ट्रेट या अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूची–2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू–राजस्व के माध्यम से बकायादार की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय–9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. **कचरा उत्सर्जकों के दायित्व :–**

(i) **कूडा फेकने पर पाबंदी**

(क) **किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना :** अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानों के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्राविधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, वर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) **किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना :** अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा।

(ग) **वाहनों से कूडा फेकना :** किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फेकेगा।

(घ) **मालवाहक वाहन से गंदगी डालना :** कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) **स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी :** कुत्ता, बिल्ली/सुअर आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरों द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कंचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) **नालियों आदि में कंचरे का निपटान :** कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

(ii) **कचरे को जलाना** : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक सम्पत्ति पर ठोस कंचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषेद्व होगा।

(iii) **"स्वच्छ क्षेत्र"** प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा शामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कंचरे से मुक्त होने चाहिए।

(iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर निगम से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

(v) ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्व अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधि में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कंचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगरपालिका की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हें नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी के सम्बद्व अधिशासी अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(vi) खाली प्लांट पर ठोस कंचरा डम्प करने और गैर–निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कंचरा डाले जाने की स्थितियों से नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी निम्नांकित ढंग से निपटेगा :–

(क) नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी किसी परिषद के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गये किसी भी प्रकार के कंचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी निम्नांकित कार्यवाही कर सकती है :–

(vi) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कंचरे को साफ करना, और (ii) अधिभोगी से कंचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(vii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :

(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कंचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी इस प्राविधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्व विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैंड मालिको को, जो गैर–जैव अपघटीय पैकेजिंग सामाग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कंचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैंड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रिसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैंड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14. <u>नगरपालिका परिषद बड़कोट उत्तरकाशी के दायित्व :</u>

(i) नगर पालिका परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पालिका परिषद अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी–निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यता हों।

(ii) नगर पालिका परिषद अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानों का रख रखाव करेगा।

(iii) नगर पालिका परिषद विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(iv) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/स्वास्थ्य एंव सफाई निरीक्षक या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(v) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पालिका परिषद जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(vi) नगर पालिका परिषद अद्यतन सडक/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(vii) नगर पालिका परिषद सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(viii) नगर पालिका परिषद कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करे। नगर निगम विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो–मिथेनेशन, कम्पोस्टिग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्व वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

(ix) नगर पालिका परिषद स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्व तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

(x) नगर पालिका परिषद ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(xi) नगर पालिका परिषद यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(xii) नगर पालिका परिषद कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर निगम को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(xiv) नियमित जांच : अध्यक्ष, द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(xv) नगर पालिका परिषद अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(xvi) नगर पालिका परिषद एसडब्ल्यूएम नियमों और उप–नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्व कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(xvii) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका परिषद अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा।

(xviii) नगर पालिका परिषद एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं।

अध्याय–10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगर पालिका परिषद अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप–नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

अनुसूची–1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र सं	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये में)
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल कार्ड धारक)	रु0– 20.00
2.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	रु 30.00
3.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में 3 रू0 प्रतिदिन दूकान एवं फड़ पर 5 रू0 प्रतिदिन
4.	रेस्टोरेंन्ट	10 टेबिल चेयर तक 50रू0 11 से 15 तक 80 रू0 तथा 15 से अधिक 100 रू0 ।
5	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस	20 बेड तक रु 200.00, 21 बेड से 40 बेड तक रु 300.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु 500.00 प्रतिमाह
6.	मांस एवं मछली विक्रेता	न्यूनतम 200 रु 10 कि0ग्रा0 तक, उससे अधिक पर रु 10 अतिरिक्त प्रति कि0ग्रा0 की बढोत्तरी पर प्रतिमाह
7.	धर्मशाला	100 रूपये प्रतिमाह
8.	बारातघर(चेरिटेबिल) बारातघर(नॉन–चेरिटेबिल)	रु 200.00 प्रति उत्सव रु 1000.00 प्रति उत्सव
9.	बेकरी	रु 100.00 प्रतिमाह
10.	कार्यालय	50 कर्मचारियो तक रु 100.00, 51 से 100 कर्मचारियों तक रु 200.00,101 से 300 कर्मचारियों तक रु 300.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से रु0 500.00 उपरोक्त दर प्रतिमाह हेतु लागू
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(आवासीय)	100 बेड तक के लिए रु 500.00,उससे अधिक रु 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त प्रतिमाह
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(अनावासीय)	500 विद्यार्थियो तक रु 500.00,उससे अधिक रु 700.00 प्रतिमाह
13.	हॉस्पिटल/नर्सिग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	20 बेड तक रु 500, 21 बेड से 40 बेड तक रु 700.00 एवं 41 से 100 बेड तक रु 1000.00,उससे अधिक रु 1500.00 प्रतिमाह
14.	क्लीनिक/पैथोलोजी	क्लीनिक रु 100.00, पैथोलोजी रु 500.00 प्रतिमाह
15.	दुकान/चाय की दंकान	मौहल्ले की छोटी दुकान रु 50.00, बाजार की दुकान रु 75.00, शोरुम रु 200.00, प्रतिमाह
16.	फैक्ट्री	छोटी रु 300.00, मध्यम रु 500.00, बडी रु 1000.00 प्रतिमाह
17.	वर्कशॉप	छोटी रु 300.00, बडी रु 600.00 प्रतिमाह
18.	कबाडी	छोटी रु 200.00,बडी रु 400.00 प्रतिमाह

1	2	3
19.	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	रु 150.00 प्रतिमाह
20.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	प्रति उत्सव रु 300.00 विवाह होटलों में, सर्कस/प्रदर्शनी रु 800.00 प्रति उत्सव
21.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50घन मी0 तक रु 100.00, 1.0घन मी0 तक रु 200.00, 3.0घन मी0 तक रु 400.00, 6.0घन मी0 तक रु 500.00,इससे अधिक प्रतिघन मी0 रु 50.00 अधिक
22.	सिनेमा हॉल	रु 300.00 प्रतिमाह
23.	वॉइन शॉप	रु 500.00 प्रतिमाह
24	जनरल स्टोर किराने की दुकान	रु 50.00 प्रतिमाह
25	एजेंसी/थोक विक्रेता	रु 100.00 प्रतिमाह
26	हैयर ड्रेसर	3 कुर्सी तक रु 100.00, 3 से अधिक 150 प्रतिमाह

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची–2

जुर्माना/दंड

क्र सं	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में) प्रतिबार
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना	आवासीय बल्क जनरेटर	200.00 500.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	5,000.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	2500.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर–आवासीय स्थान	500.00
			फिस,मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थक्करण तरीके से न रखना	500.00
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	सडक/गली में 1.कूडा फैकना,थूकना 2.नहाना,पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना,गोबर नाली में बहाना	उलंघनकर्ता	रू– 200.00 से 500.00 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम

				2016 के अन्तर्गत होगी। रू– 500.00
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	200.00
			गैर–आवासीय/बल्क जन्रेटर	500.00
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	1000.00
			गैर–आवासीय/बल्क जनरेटर	5000.00
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000.00
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	5,000.00
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थक्करण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200.00
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500.00
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा				
8.	एसडब्ल्यू एम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन,आ. र.डब्ल्यू.एम.	10,000.00
			बाजार एसोसिएशन,संघ	20,000.00
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	5,000.00
			संस्थान	10,000.00
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	25,000.00
			रेस्टोरेंट	10,000.00
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों	उत्पादन के कारण सृजित	विनिर्माता और/या	50,000.00

	का नियम 17(2)	पैकेजिंग कंचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	ब्रॉड ऑनर/स्वामी	
12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कम्पनियां	50,000.00
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि	50,000.00
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक /वाहन/चालक	1000.00
15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर पालिका परिषद की उप विधि को होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल / अतिथिग्रह स्वामी	1000.00
16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस,मेले,राजनैतिक रैलिया,वाणिजिक,धार्मिक, सास्कृतिक कार्यकमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000.00

अमर जीत कौर,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
बड़कोट उत्तरकाशी।

श्रीमती अनुपमा रावत,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
बड़कोट उत्तरकाशी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/107–भाग 8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।